

जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज में धोखाधड़ी व ठगी करने वाले अन्तर जनपदीय तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 270 बोरी गेहूँ, 1,10,000 रू. नकद रूपया घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक नं. यू.पी. 45 ई. 4730 बरामद

जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने एवं जनपद में हो रहे धोखाधड़ी व ठगी के खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 161/21 धारा 420, 406 भादवि के खुलासे हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज नवीन कुमार सिंह, के नेतृत्व में टीम गठित कर सर्विलांस टीम जनपद गोरखपुर की सहयोग से आज दिनांक 20.05.2021 को मुखवीर की सूचना पर थाना क्षेत्र कैम्पियरगंज के मरचाही कुटी एफ.सी.आई. गोदाम के पास से 1. जयराम यादव पुत्र शिवचन्द यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ, 2.जितेन्द्र निषाद पुत्र श्यामदेव निषाद निवासी पिवाताल थाना घोसी जनपद मऊ, 3.संदिप यादव पुत्र लखवू यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण 1.राजेश यादव, 2. रामकेश यादव, 3.मुकेश यादव पुत्रगण रामनयन यादव निवासी उसरी बुजुर्ग थाना दोहरीघाट जनपद मऊ मौके से जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गये। अभियुक्त गण का एक संगठित गिरोह है जिनके द्वारा ट्रक पर कुटरचित नम्बर प्लेट लगाकर दुसरे आई.डी. का मोबाइल सीम का प्रयोग कर अपराधिक षडयंत्र रचकर योजना बद्ध तरिके से अपराध कारित करने पर अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 411 भादवि में गिरफ्तारी किया गया है। अभियुक्त गण उपरोक्त एक शातिर किस्म के अन्तर जनपदीय अपराधी है। जिन्हे मोबाइल के सम्बन्ध में काफी जानकारी है जिसका लाभ उठाकर अपराध कारित कर आसानी से छिप जाते है, जो जनपद गोरखपुर व बाहर के जनपदों में भी घटनायें कारित किये है। इनके अन्य अपराध के सम्बन्ध में बार्डर के जनपदों से पता किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी मुकदमा कमलेश पुत्र मोतीलाल निवासी चौरी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर कृषक ट्रेडर्स बरगदही मछलीगाँव के प्रोपराइटर है। तथा गल्ले का कारोबार करते है। आवेदक दिनांक 10. 05. 2021 को अभियुक्त गण दुसरे के आई.डी. का मोबाइल सीम प्रयोग कर कुटरचित नम्बर प्लेट ट्रक पर लगाकर ट्रान्सपोर्टर को धोखा व आवेदक को धोखे में रखकर अपराधिक षडयन्त्र के तहत योजनाबद्ध तरिके से रात लगभग 9 बजे ट्रक नं. UP 50 F 4106 पर 254 कुन्टल 95 किलो गेहूँ लोड करके चालक अज्ञात व अन्य सहयोगीयो के साथ गेहूँ लेकर नवीन गल्ला मण्डी चौरी चौरा गोरखपुर के लिए चला। लेकिन ट्रक चालक ट्रक लेकर गल्ला मण्डी चौरी चौरा नहीं पहुचा। तथा उक्त ट्रक पर लदा माल धीरे- धीरे सस्ते दामो पर अजनबी व्यपारियों को बेचने के प्रयास में थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

1. जयराम यादव पुत्र शिवचन्द यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ
- 2.जितेन्द्र निषाद पुत्र श्यामदेव निषाद निवासी पिवाताल थाना घोसी जनपद मऊ
- 3.संदिप यादव पुत्र लखवू यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ

अभियोग का विवरण जिसमे गिरफ्तारी हुई का विवरण

- 1.मु.अ.सं. 161/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 411भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी दिनांक/ घटनास्थल व समय

20.05.21 / मरचाही कुटी / 8.15 बजे सुबह

बरामदगी

1. 270 बोरी गेहूँ
2. 1,10,000 रू. नकद रूपया
3. घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक नं. यू.पी. 45 ई. 4730

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. वरि0उनि0 नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. उनि. नितेश सिंह चौकी प्रभारी मछलीगाँव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. हे.का. जितेन्द्र सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
5. का. सुधीर कुमार राय थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
6. का. हेमन्त कुमार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
7. का. नमित मिश्रा सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
8. का. अरूण यादव सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर